

प्रेषक:-

संयुक्त शिक्षा निदेशक,
बरेली मण्डल बरेली।

सेवा मे,

सचिव

केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा परिषद्,
शिक्षा केन्द्र-2, समुदाय केन्द्र,
प्रीति विहार, नई दिल्ली।

पत्रांक: सी०बी०एस०ई०/

/2022-23 दिनांक: २० दिसम्बर-2022

विषय:-

फ्यूचर इंटरनेशनल स्कूल, औरिया निकट मैंदना, टनकपुर रोड, पीलीभीत को सी०बी०एस०ई० बोर्ड, नई दिल्ली से सम्बद्धता हेतु अनापत्ति प्रमाण निर्गत किये जाने विषयक।

महोदय,

उर्पयुक्त विषयक अवगत कराना है कि "शासनादेश सं०: शिक्षा अनुभाग-7, 1916/15-7-2009-1(290)/2007 दिनांक: 14 जुलाई, 2009 के संदर्भ में मण्डल स्तर पर गठित समिति के निर्णय दिनांक: 20.12.2022 के क्रम में फ्यूचर इंटरनेशनल स्कूल, औरिया निकट मैंदना, टनकपुर रोड, पीलीभीत को सी०बी०एस०ई० बोर्ड, नई दिल्ली से सम्बद्धता हेतु अनापत्ति प्रमाण-पत्र निर्गत किये जाने हेतु राज्य सरकार को निम्नलिखित प्रतिबन्धों के अधीन आपत्ति नहीं है:-

- 01- विद्यालय की पंजीकृत सोसाइटी का समय-समय पर नवीनीकरण कराया जायेगा।
- 02- विद्यालय की प्रबन्ध समिति मे शिक्षा निदेशक द्वारा नामित एक सदस्य होगा।
- 03- विद्यालय मे कम से कम 10 प्रतिशत स्थान अनुसूचित जाति/जनजाति के मेधावी छात्र/छात्राओं के लिए सुरक्षित रहेंगे और उनसे उ०प्र०माध्यमिक शिक्षा परिषद/बेसिक शिक्षा परिषद द्वारा संचालित विद्यालयों मे विभिन्न कक्षाओं के लिए निर्धारित शुल्क से अधिक शुल्क नहीं लिया जायेगा।
- 04- संस्था द्वारा राज्य सरकार से किसी अनुदान की मँग नहीं की जायेगी और यदि पूर्व में विद्यालय माध्यमिक शिक्षा परिषद से मान्यता प्राप्त है तथा विद्यालय की सम्बद्धता सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेण्डरी एजूकेशन, नई दिल्ली/कॉसिल फॉर दि इण्डियन स्कूल सर्टीफिकेट इक्जामिनेशन, नई दिल्ली से प्राप्त होती है तो उस परीक्षा परिषदों से सम्बद्धता प्राप्त होने की तिथि से उ०प्र०माध्यमिक शिक्षा परिषद द्वारा प्रदत्त मान्यता तथा राज्य सरकार से प्राप्त अनुदान स्वतः समाप्त हो जायेंगे।
- 05- संस्था के शैक्षिक एवं शिक्षणेत्तर कर्मचारियों को राजकीय सहायता प्राप्त शिक्षण संस्थाओं के कर्मचारियों के अनुमन्य वेतनमानों तथा अन्य भत्तों से कम वेतनमान तथा अन्य भत्ते नहीं दिये जायेंगे।
- 06- कर्मचारियों की सेवा शर्ते बनायी जायेगी और उन्हें सहायता प्राप्त अशासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों के कर्मचारियों को अनुमन्य सेवानिवृत्ति का लाभ उपलब्ध कराया जायेगा।
- 07- राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर जो भी आदेश निर्गत किये जायेंगे, संस्था उसका पालन करेगी।
- 08- विद्यालय का रिकॉर्ड निर्धारित प्रपत्र पंजिकाओं मे रखा जायेगा।
- 09- उक्त शर्तों मे राज्य सरकार के पूर्वानुमोदन के बिना कोई परिवर्तन/संशोधन/परिवर्धन नहीं किया जायेगा।

उक्त का पालन करना संस्था के लिए अनिवार्य होगा और यदि किसी समय यह पाया जाता है कि संस्था द्वारा उक्त प्रतिबन्धों का पालन नहीं किया जा रहा है अथवा पालन करने मे किसी भी प्रकार की चूक या शिथिलता बरती जाती है तो राज्य सरकार द्वारा प्रदत्त अनापत्ति प्रमाण-पत्र वापस ले लिया जायेगा।

मवदीय,

(अजय कुमार द्विवेदी)

संयुक्त शिक्षा निदेशक

बरेली मण्डल, बरेली।

Tina. Goyal
Principal
Future International School

For Excellent Educational Welfare Trust

Ram
Secretary

पृष्ठां: सी०बी०एस०ई / १।८९-६५/ 2022-23 तददिनांक
प्रतिलिपि- निम्नांकित को सूचनार्थ एंव आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
1- आयुक्त, बरेली मण्डल, बरेली।
3- शिक्षा निदेशक(मां), ७०प्र० लखनऊ।
4- जिलाधिकारी, पीलीभीत।
5- जिला विद्यालय निरीक्षक, पीलीभीत।
6- प्रबन्धक/प्रधानाचार्य, फयूचर इंटरनेशनल स्कूल, औरिया निकट मैंदना, टनकपुर रोड, पीलीभीत।
7- निरीक्षक, आंग्ल भाषा, भारतीय विद्यालय ८०प्र० लखनऊ।

संयुक्त शिक्षा निदेशक
बरेली मण्डल, बरेली।

Tina Goel
Principal
Future International School

For Excellent Educational Welfare
D Ray
Secretary